न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ताआर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :–078/2024

मदनलाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम्

1.भागीरथ पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2.तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1.	**श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता**	**प्रार्थी**
2.	**श्री करनैलसिह अधिवक्ता**	**अप्रार्थी संख्या 1**

निर्णय **दिनांक :–30.07.2024**

प्रार्थी मदनलाल ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र 251ए आरटीए के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थी के नाम से चक नम्बर 5 ए.जी. के खाता संख्या 56/148 में कुल 2.353 हैक्टर कृषि भूमि व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 5 ए.जी के खाता संख्या 55/47 में कुल 2.353 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना–पत्र है।

प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 212/352(21) किला नम्बर 1/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में आवागमन के लिए कोई मन्जुरशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी, अप्रार्थी की भूमि चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 212/352(21) किला नम्बर 1 ता 5 में से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता चला आ रहा है जो मौका पर चालु है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण अप्रार्थी उक्त रास्ता का कभी भी बंद कर सकता है इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 212/352(21) किला नम्बर 1/1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक में 0.013 हैक्टर चौड़ा रास्ता पूर्व से पश्चिम, उतरी दिशा में स्वीकृत करवाना चाहता हैं। प्रार्थी ने रास्ता की भूमि के बदले में अप्रार्थी को चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 212/352(21) किला नम्बर 1/2 मे से 0.025 हैक्टर पूर्वी दिशा में पूर्वी–उतरी कॉर्नर (16) गुणा 16) फुट जगह) छोड़कर दी हुई है जो अप्रार्थी के कब्जा में है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 212/352(21) किला नमबर 1/1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक में 0.013 हैक्टर चौड़ा रास्ता पूर्व से पश्चिम, उतरी दिशा में स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.05 11:49:53 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार राजस्व से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी द्वारा हाजिर अदालत होकर अपना जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 212/352(21) किला नम्बर 1/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में आवागमन के लिए कोई मन्जुरशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी, मुझ अप्रार्थी की भूमि चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 212/352 (21) किला नम्बर 1 ता 5 में से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता चला आ रहा है जो मौका पर चालु है इसलिए मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 212/352(21) किला नम्बर 1/1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक में 0.013 हैक्टर चौडा रास्ता पूर्व से पश्चिम,उतरी दिशा में रास्ता चालू है। प्रार्थी से रास्ता की भूमि के बदले में मुझ अप्रार्थी को चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 212/352(21) किला नम्बर 1/2 मे से 0.025 हैक्टर पूर्वी दिशा में पूर्वी–उतरी कॉर्नर 16½x16½ जगह छोड़कर प्राप्त की हुई है इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता का अंकन कर, रास्ता के बदले में प्राप्त मुझ को प्राप्त आराजी मुझ अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन की जाती है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस मे राजीनामा हो गया है। मैं अप्रार्थी इससे पूर्णतया सहमत हूँ। जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पक्षकारान की आईडी की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। स्टेट द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 की भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागन के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी, अप्रार्थी की भूमि में से होकर अपनी भूमि मे प्रवेश करता है तथा अप्रार्थी को प्रार्थी ने रास्ता की भूमि के बदले में भूमि दी हुई है, इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारान का सहमति का जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.05 11:49:53 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दीयों, जवाब प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा तथा तहसीलदार राजस्व द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव व जबाब प्रार्थना पत्र सहमति के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 212/352(21) किला नम्बर 1/1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक में 0.013 हैक्टर चौड़ा रास्ता पूर्व से पश्चिम, उतरी दिशा में स्वीकृत कर गैर मुमकिन रास्ता के रुप में अंकन किये जाने तथा रास्ता में आई भूमि के बदले प्रार्थी की भूमि चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 212/352(21) किला नम्बर 1/2 में से 0.025 हैक्टर पूर्वी दिशा में पूर्वी–उतरी कॉर्नर 16½x16½ फुट जगह छोड़कर, अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चक नम्बर 5 ए.जी. के खाता सख्या 56/148 मे से हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक **30.07.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.05 11:49:53 IST
Reason: SelfAttested